

प्रेषक,

देवेश मिश्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2026

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद पडरौना अन्तर्गत वार्ड नं0-6 में दरबार के बगीचे बाड़ी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना हेतु द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी-कुशीनगर के पत्र संख्या-79/समीक्षा बैठक/2025-26, दिनांक 17.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद पडरौना अन्तर्गत वार्ड नं0-6 में दरबार के बगीचे बाड़ी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-561/2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1879038, दिनांक 28.12.2024 द्वारा रू0 204.79 लाख (निविदा की धनराशि रूपये 203.32 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 102.00 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में रू0 101.32 लाख (रू0 एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

### **नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) प्रश्रुगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।


- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।
- (14) विषयगत परियोजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा कराया जायेगा।
- (15) यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,01,32,000 ( रुपये एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,


  
( देवेश मिश्र ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 616(1) /2026/ नौ-5-20256 /010-Com.No.1879038, तदु दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- नगर आयुक्तख, नगर निगम लखनऊ, जनपद-लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

  
( देवेश मिश्र ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2025-2026**  
**आवंटन दिनांक-27/01/2026**

**प्रेषण संख्या:-** 616  
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-616-2026-9-5-2026-010-CN-1879038  
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
**लेखाशीर्षक:-** 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
107 - मल - जल सेवाएं  
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	10132000 574988000	10132000 574988000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10132000 574988000	10132000 574988000

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार  
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तावन करोड़ उनचास लाख अठासी हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
विशेष सचिव